46 (3) लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल का गठन

जैसा कि उद्योग मंत्रालय आदि को इस बात की जानकारी है कि सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार वर्तमान संसद सदस्य को केन्द्रीय सरकार के लोक उद्यमों के निदेशक बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में लोक उद्यम ब्यूरो के तारीख 13 अक्तूबर, 1972 के का.ज्ञा.सं.2(158)/70 बी.पी.ई.(जी.एम.) के माध्यम से जारी किए गए दिशानिर्देशों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बड़े बहु–यूनिट उद्यमों तथा बड़े व्यापारिक संगठनों के लिए बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा सहायक के रूप में कुछ कार्य निदेशक तथा अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। तथापि, उस समय यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि विशेष मामलों में ऐसा करना वांछनीय हो तो अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए। इन मामलों में एक उपयुक्त पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक निश्चित रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए।

2. सरकार के पास सरकारी उपक्रम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में तथा समय–समय पर प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों के आधार पर इन मुद्दों की समीक्षा करने के संबंध में पर्याप्त विचार–विमर्श करने का अवसर मिला है।

3. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के लोक उद्यमों में निदेशक बोर्ड के लिए वर्तमान संसद सदस्यों की नियुक्ति न किए जाने की नीति जारी रखी जाए। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि लोक उद्यमों में अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक के पद को मिलाए जाने की नीति प्रत्येक उद्यम के गुणावगुण और अंशकालिक अध्यक्ष पद के लिए सक्षम व्यक्ति को उपलब्धता के आधार पर निर्धारित की जाए।

4. उपर्युक्त निर्णयों की जानकारी सूचना एवं अनुपालन के लिए उद्योग मंत्रालय आदि को दी जाए, जहां वर्तमान संसद सदस्य पहले से ही केन्द्रीय लोक उद्यम बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन मामलों की इस प्रकार के उद्यमों के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करते समय सरकार के उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाए।

(बी.पी.ई. का 20 अप्रैल, 1982 का का.ज्ञा. संख्या 2(9)/80 लोक उद्यम (जी.एम.)